

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

ब्रिटेन का रिश्वत अधिनियम २०१०

(निदेशक मंडल की बैठक संख्या ८/२०११ दिनांक १२ सितंबर, २०११ द्वारा मान्य)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से भेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेंगे।

कार्यकारी सारांश

ब्रिटेन का रिश्वत अधिनियम २०१०

ब्रिटेन का रिश्वत अधिनियम 2010, 1 जुलाई 2011 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार रिश्वतखोरी को रोकने में नाकाम रहना एक कॉर्पोरेट अपराध है। रिश्वतखोरी को रोकने की "पर्याप्त प्रक्रियाएं" अपना कर इससे पूर्ण सुरक्षा मिल सकती है।

किसी व्यावसायिक संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय प्राप्त करने या उसे बनाए रखने या व्यवसाय के लाभ की मंशा से किसी अन्य व्यक्ति को दी गयी रिश्वत उस संगठन द्वारा किया गया अपराध होता है।

यह अधिनियम ब्रिटेन और अन्य देशों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में रिश्वतखोरी पर लागू होता है। इस अधिनियम में अधिकतम 10 साल की कारावास, असीमित जुर्माना, आय की जब्ती, सार्वजनिक क्षेत्र के अनुबंधों पर प्रतिबन्ध, निदेशकों को अयोग्य घोषित करना आदि दंड के प्राबधान हैं। यह अपराध मुख्य रूप से ब्रिटेन की कंपनियों के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों पर लागू होता है।

परिभाषाएं:

व्यावसायिक संगठन: ब्रिटेन की ऐसी कंपनियां और साझेदारियां जो कि कहीं भी कारोबार करती हों अथवा विदेशी कंपनियां और साझेदारियां जो ब्रिटेन में कारोबार करती हैं।

सम्बंधित व्यक्ति: ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठन का कर्मचारी, एजेंट, सलाहकार, ठेकेदार, सहायक कंपनी के लिए या इसके बजाय अन्य सेवाओं के लिए कार्य करते हैं, और कर्मचारियों, एजेंटों, सलाहकारों, ठेकेदारों, सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम साझेदार अथवा संगठन की सेवा करने वाला, संगठन के लिए काम करने वाला अथवा आपूर्तिकर्ता व्यक्ति इत्यादि। परन्तु ऐसे आपूर्तिकर्ता इसमें शामिल नहीं है जो साधारण रूप से संगठन को माल बेचते हैं।

रिश्वत: ऐसा धन अथवा वित्तीय लाभ या अन्य कोई लाभ जो किसी प्रासंगिक कार्य या गतिविधि को अनुचित रूप से निष्पादित करने की एवज में दिया जाये अथवा लिया जाये अथवा देने या लेने का वादा किया जाये अथवा लेने या देने का आग्रह किया जाए।

प्रासंगिक कार्य या गतिविधि: सार्वजनिक प्रकृति के सभी कार्य, व्यवसाय से जुड़ी सभी गतिविधियाँ, किसी व्यक्ति के रोजगार के दौरान की गयी कोई भी गतिविधि अथवा व्यक्तियों के संगठन के द्वारा या उसकी तरफ से की गयी गतिविधि।

अयोग्य निष्पादन: कोई भी ऐसा कार्य जो किसी अपेक्षित सद्भावना, निष्पक्षतापूर्वक या विश्वास के विरुद्ध निष्पादित किया जाता है।

रिश्वतखोरी अधिनियम 2010 आईवीएल के उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो ब्रिटेन से सम्बंधित किसी लेन-देन में शामिल हों अथवा ब्रिटेन की किसी कंपनी के साथ भागीदारी से सम्बन्ध रखते हों चाहे वह स्वयं किसी भी राष्ट्र के नागरिक हों।

निषिद्ध:

- अनुचित तरीके से किसी प्रासंगिक कार्य या गतिविधि को करने के लिए बदले में किसी व्यक्ति से कोई वित्तीय या अन्य लाभ को स्वीकार करना या आग्रह करना।
- उपहारों जैसे कि शराब, घड़ियां, चॉकलेट, धन इत्यादि का ग्राहकों / आपूर्तिकर्ताओं से ग्रहण करना अथवा आग्रह करना।
- आपूर्तिकर्ताओं और / या ग्राहकों को निविदा या संविदात्मक वार्ता के दौरान भोजन, थिएटर / संगीत / खेल आयोजनों को न ही स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और न ही दिया जाना चाहिए *
- व्यापार में सामान्य से अधिक आतिथ्य जैसे छुट्टियाँ, लघु अवकाश, विदेशी यात्रा अथवा व्यवसाय के आधार पर कोई अन्य और अप्रासंगिक आतिथ्य आपूर्तिकर्ताओं या ग्राहकों से न ही स्वीकार किया जाना चाहिए न ही दिया जाना चाहिए।

अनुमति:

- कारोबार के संबंध में सामान्य और उचित आतिथ्य प्रस्ताव स्वीकार्य हो सकते हैं परन्तु कभी कभी। कर्मचारियों को ऐसे किसी आतिथ्य की पेशकश के बारे में अपने प्रबंधकों को अवश्य सूचित करना चाहिए, और किसी अन्य को आतिथ्य की पेशकश करने से पहले अपने प्रबंधकों के साथ परामर्श करना चाहिए *
- आईवीएल के कर्मचारी अपने ग्राहकों को कंपनी के द्वारा स्वीकृत उचित मूल्य के विपणन उपहारों को अपने प्रबंधकों के अनुमोदन के उपरांत दे सकते हैं *

*** इस सम्बन्ध में जब भी संदेह हो, कर्मचारियों को किसी भी उपहार या आतिथ्य की पेशकश को स्वीकार करने या देने से पहले अपने प्रबंधकों से परामर्श कर लेना चाहिए। सम्बंधित इकाई प्रमुख उपहार के मूल्य की सीमाओं पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।**